

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067

संयुक्त सं. CI/COM/R/2018/50011

दिनांक 04.01.2018

सेवा में,

श्री. अभय कुमार,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 02.01.2018 ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1 (A से H तक), 2, 3 एवं 4	वांछित सूचना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचनाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं ।
बिंदु सं. 5	दिनांक 04.01.2018 को आपका यह ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुआ है एवं 05.01.2018 को सूचना प्रदान की जा रही है ।
बिंदु सं. 6	इस आर.टी.आई. को निपटाने हेतु कोई नोटिंग नहीं लिखी गई है ।
बिंदु सं. 7	अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त इस आर.टी.आई. को निपटाने में अन्य किसी अधिकारी की भूमिका नहीं है ।
बिंदु सं. 8	सभी बिंदु केन्द्रीय सूचना आयोग से ही संबंधित हैं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

अशोक कुमार

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल